



UPBN010066852022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-3325/2022

अजब सिंह

बनाम

राज्य

मु०अ०सं०-१६१/२०२०

धारा-१४७, ३०४ भा०दं०सं०

थाना-मुजरिया, जिला-बदायूँ।

३१-०१-२०२३

आज यह अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ।

पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल न देने का कथन किया गया तथा बल न देने का पृष्ठांकन आदेश-पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर भी किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बल न दिए जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-३१-०१-२०२३

(पंकज कुमार अग्रवाल)

सत्र न्यायाधीश,

बदायूँ।

JOCode-U.P.1897